

NATIONAL FEDERATION OF TELECOM EMPLOYEES_(BSNL)

(Recognized Union in BSNL)

नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉईज. (बी.एस.एन.एल)
म.प्र.परिमंडल भोपाल



रजि.4906

परिमंडल अध्यक्ष
ऐ. के .मिश्रा
मों.94258.68100

परिमंडल कोषाध्यक्ष
एम.डी.सालोडकर
मों 94259.14641

परिमंडल सचिव
हबीब खान
मों 94250.15786

सूचना...

दि. 30.08.2016

विषय :-- 2.सितम्बर 2016 को राष्ट्रव्यापी हडताल.

देश की 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर एक दिन 2 सितम्बर 2016 को राष्ट्रव्यापी हडताल करने का आह्वान किया है। क्या आप जानते हैं ये हडताल क्यों की जा रही है। इसे संक्षिप्त में समझे, सरकार वर्तमान के श्रम कानूनों में बदलाव कर नया कानून बनाने जा रही है। तीन पुराने श्रम कानून, इंडस्ट्रीयल एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और इंडस्ट्रीयल एक्ट 1946 की जगह नया कानून लेगा यदि नया कानून बना तो कर्मचारी / मजदूर वर्ग को बहुत भारी हानि होगी।

नया कानून :-1. मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्स एक्ट 1961. 2. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965.

3. इंटर स्टेट वर्कमेन एक्ट 1979. 4. बिल्डिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन एक्ट 1996.

- नये कानून से कर्मचारियों को नौकरी से निकालना आसान हो जायेगा।
- यूनियन बनाना मुश्किल हो जायेगा।
- ओव्हर टाइम की सीमा 50 से बढ़ाकर 100 घंटे करने का प्रावधान होगा जिससे मजदूरों को 8 घंटे की जगह पर 12 घंटे नियमित काम करना पड़ेगा। फेक्टरी मालिकों को ज्यादा अधिकार मिल जायेंगे। कोर्ट जाने का अधिकार खत्म होंगे।
- मौजूदा 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 नये कानून बनाये जायेंगे।
- यूनियन में बाहरी लोगो पर रोक लगा दी जायेगी।
- एप्रेंटिश एक्ट में एक तरफा बदलाव कर 2 साल से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया जायेगा। ये इतना खतरनाक कानून है यदि इसका विरोध नहीं किया गया और नया कानून बन गया तो मजदूर/ कर्मचारियों के बहुत बुरे हाल हो जायेंगे।

मोदी सरकार ये इसलिये कर रही ताकि विदेशी कम्पनीया हमारे देश में निवेश कर सकें विदेशी कम्पनीयों का कहना है कि भारत में 44 श्रम कानून मजदूर हितेषी है। पहले इसे खत्म करो तभी हम आर्येंगे। उक्त खतरनाक नये कानून के विरोध हेतु देश की 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने एक दिन की हडताल करने का आह्वान किया है। 2, सित.को हडताल 100 प्र.श.

एन.एफ.टी.ई. बी.एस.एन.एल. की मांगें 1. दो वर्षों का बोनस। 2. वेज रिवीजन की कमेटी शिघ्र गठित की जाए। 3. स्टेगनेशन की समाप्ती हो। 4. नियम 55(11)b की समाप्ती हो। 5. बी.एस.एन.एल को बेचने की प्रस्तावीत नीति समाप्त हो। एवं अन्य मांगें शामिल हैं।

परिमंडल सचिव
हबीब खान